उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
संख्या-121/2015/4677/92-1-2015-39(अधि0)/2015टीसी,
लखनऊ: दिनांक: 03 नवम्बर, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

पदोन्नति में आरक्षण तथा परिणामी ज्येष्ठता के सम्बन्ध में सिविल अपील सं0-2608/2011 यू0पी0 कारपोरेशन लि0 बनाम राजेश कुमार व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 27-4-2012 तथा इस सम्बन्ध में कार्मिक विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या- 8/4/1/2002टीसी-1-का-2/2015 दिनांक 21-8-2015 के अनुपालन में कार्यालय-ज्ञाप संख्या-109/2015/3931/92-1-2015-58(अधि0)/2015, दिनांक 09-9-2015 द्वारा अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के पद से सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के पद पर पदावनत किये गये अधोतालिका के स्तम्भ सं0-2 में उल्लिखित सहायक अभियंताओं को स्तम्भ-4 में उल्लिखित प्रखण्ड/पी0आई0यू0 में सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के पद पर एतदद्वारा तैनात किया जाता है :-

क्र0सं0	नाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1-	श्री ईशम सिंह	पी0आई0यू0-रायबरेली	पी0आई0यू0-कुशीनगर	सम्बन्धित सामान्य प्रखण्ड में किसी सहायक अभियंता की तैनात न होने के कारण सामान्य प्रखण्ड का अतिरिक्त कार्यभार।
2-	श्री रविकान्त वर्मा	प्रखण्ड-सुलतानपुर	प्रखण्ड-रामपुर	-
3-	श्री जवाहर सिंह	प्रखण्ड-वाराणसी	पी0आई0यू-बागपत	सम्बन्धित सामान्य प्रखण्ड में किसी सहायक अभियंता की तैनात न होने के कारण सामान्य प्रखण्ड का अतिरिक्त कार्यभार।
4-	श्री राजेन्द्र सिंह	प्रखण्ड-सहारनपुर	प्रखण्ड-मुजफ्फरनगर	-

2- उपरोक्त सहायक अभियंताओं को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी नवीन तैनाती के स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक की प्रति शासन को उपलब्ध करायें।

शिशिर कुमार यादव
विशेष सचिव।

संख्या-121/2015/4677(1)/92-1-2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- अपर आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायत एवं नगरीय निकाय), उ0प्र0, लखनऊ को शासन के पत्र संख्या-4475/92-1-2015-39(अधि0)/2015, दिनांक 08-10-2015 के संदर्भ में।
4- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- मुख्य अभियंता (पूर्वी/पश्चिमी), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
7- संबंधित सहायक अभियंतागण द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
8- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2
9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राम रतन)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in